न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 1273–तीन/2011 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 21–7–2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा – प्रकरण क्रमांक 756/10–11 अपील

1– इन्द्रजीत गुप्ता 2– रामजी गुप्ता

3– राजमणि गुप्ता 4– रमेश कुमार

सभी पुत्रगण शीतलदास निवासी ग्राम

चुरहट तहसील चुरहट जिला सीधी ----आवेदकगण

विरूद्ध

सुधीर सिंह पुत्र लालमणि सिंह ग्राम कपुरी

तहसील चुरहट जिला सीधी मध्य प्रदेश --अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री राजेन्द्र तिवारी)

(अनावेदक के अभिभाषक श्री बद्री सिंह)

आ दे श

(आज दिनांक 11 –8–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 756/10–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 21–7–11 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार चुरहट को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम दादर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 205 रकबा 0.98 1/2 एकड़ भूखंड को उसने रामजीगुप्ता से विक्रय पत्र दिनांक

14-11-03 से क्रय किया है तभी से उस पर काविज है, किन्तु सर्वे नंबर 205 की भूमि का नक्शा तरमीम नहीं हुआ है, नक्शा तरमीम किया जावे। तहसीलदार चुरहट ने प्रकरण कमांक प्रकरण क्रमांक 2 अ-5/ 2009-10 पॅजीबद्ध किया तथा वाद कार्यवाही आदेश दिनांक 19-1-11 पारित किया एंव नक्शा तरमीम के आदेश प्रदान किये गये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के समक्ष अपील प्रस्तुत की । अनुविभागीय अधिकारी चुरहट ने प्रकरण क्रमांक 137/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 10-2-11 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा ने प्रकरण क्रमांक 756/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-7-11 से अनुविभागीय अधिकारी चुरहट का आदेश दिनांक 10-2-11 निरस्त कर दिया तथा तहसीलदार चुरहट के आदेश दिनांक 19-1-11 को यथावत् रखा। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर एंव लेखी बहस पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी चुरहट ने आदेश दि. 10-2-11 से तहसीलदार के नक्शा तरमीम आदेश को इस आधार पर निरस्त किया है कि जब राजस्व निरीक्षक वृत्त चुरहट ने प्रदर्श पी-1 नक्शा तर्मीम प्रस्ताव दिये थे तब उसके वाद प्रदर्श पी-2 नक्शा तरमीम प्रस्ताव देना उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार उन्होंने प्रथम नक्शा तरमीम प्रस्ताव प्रदर्स पी-1 को मान्य करते हुये तहसीलदार के आदेश दि. 19-1-11 को निरस्त किया है। प्रकरण में विचार योग्य है यदि राजस्व

निरीक्षक वृत्त चुरहट द्वारा प्रस्तुत नक्शा तर्मीम प्रस्ताव प्रदर्श पी-1 में कमी रह गई थी एंव तहसीलदार के निर्देशानुसार उन्होंने पुनः स्थल निरीक्षक कर पूर्व की कमी पूर्ति करते हुये पुनः प्रदर्श पी-2 नक्शा तरमीम प्रस्ताव प्रस्तुत किये है जिसे तहसीलदार ने उपयुक्त पाकर आदेश दिनांक 19-1-11 पारित किया है अनुविभागीय अधिकारी की शोच वास्तविकता के विपरीत होना पाई गई है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा ने यह निष्कर्ष निकाला है कि विक्रय पत्र दिनांक 14-11-03 में अंकित सीमाओं अनुसार नक्शा तरमीम प्रस्ताव प्रदर्स पी-1 में कमी रहने से कमी पूर्ति करते हुये नक्श प्रदर्स पी-2 बनाया गया है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 756/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-7-11 में निकाले गये निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 756/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-7-11 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर